

एफ.टी.डी. कार्यालय, जयपुर
जोरवार वारा 5 न्यायालय

फ. 1 - 43/22

30/6/22

पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता सभ द्वारा
अपडोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02/08/22 पेश हुई।

02/08/22

पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता सभ द्वारा
अपडोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/10/22 पेश हुई।

18/10/22

पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता सभ द्वारा
अपडोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/12/22 पेश हुई।

23/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा
अनु०। वकील शर्मा तथा शर्मागिन
को बार-बार आवाज लगवाई गई।
लेकिन कोई उप० नहीं आया। पत्रावली
का अवाक्युन किया गया। पत्रावली अद
दण्डी व अदम पैरवी में खारिज व
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार है
नम्बर से कम है तथा बाद शर्मा
दाखिल दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर